ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सी.आर.क्रमांक 99 आफ 2019

1– श्री नारायण अग्रवाल आत्मज स्वः श्री दुर्गा दत्त आयु लगभग 88 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20, मनेन्द्रगढ , जिला कोरिया , छत्तीसगढ

2– श्री संकेत कुमार अग्रवाल आत्मज श्री बसंत कुमार अग्रवाल आयु लगभग 33 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20, मनेन्द्रगढ ,जिला कोरिया, छत्तीसगढ

3– श्री साकेत कुमार अग्रवाल आत्मज श्री कैलाश कुमार अग्रवाल आयु लगभग 30 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20,मनेन्द्रगढ ,जिला कोरिया , छत्तीसगढ

–––––**याचिकाकर्तागण**

विरूध्द

1– श्री किशोर अग्रवाल आत्मज स्वः श्री हरिप्रसाद अग्रवाल आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 20, मनेन्द्रगढ , जिला कोरिया , छत्तीसगढ

2– श्रीमति शकुंतला देवी पत्नी श्री हरिप्रसाद अग्रवाल आयु लगभग 77 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20,मनेन्द्रगढ ,जिला कोरिया,छत्तीसगढ

–––––**उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

– – – –

सम्पत्ति सावित्री देवी के नाम पर बेनामी क्रय की थी। वाद का याचिकाकर्ताओ द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिकाकर्ताओ ने एक आवेदन इस आधार पर पेश किया कि बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम) के तहत वाद पोषणीय नही है, उक्त आवेदन को आलोच्य आदेश के द्वारा खारिज किया गया।

3. याचिकाकर्ताओ की और से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि वादपत्र के अभिवचनो के अनुसार स्पष्ट रूप से, उत्तरवादीगणो द्वारा वाद सम्पत्ति को सावित्री देवी के नाम पर बेनामी क्रय करने के आधार पर हक का दावा किया है, यद्यपि उत्तरवादीगणो के इस दावे को याचिकाकर्ताओ ने चुनौती दी थी । वाद पत्र में स्वतः ही यह अभिवचित है कि सावित्री देवी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वसीयत दिनांक 03.6.2017 निष्पादित की थी, जिस कारण से इस आधार पर याचिकाकर्ता ने वाद सम्पत्ति पर सही दावा किया। यह तर्क किया गया कि 1988 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि बेनामी धारित किसी सम्पत्ति के संबंध में किसी अधिकार को प्रवृत करने के लिए कोई वाद,दावा या कार्यवाही किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है, या उसकी ओर से नही होगी, अतः अधिनियम में स्पष्ट प्रतिषेध है। यद्यपि 1988 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में इसका एक अपवाद है , जो कि अविभाजित परिवार पर लागू होता है, लेकिन वाद पत्र में ऐसा कोई अभिवचन नही है कि सावित्री देवी संयुक्त हिन्दू परिवार की समांशिती थी। वाद सम्पत्ति को क्रय करने के बाद, सावित्री देवी अकेले पूर्ण स्वामिनी के तौर पर सम्पत्ति को धारित रखी और ऐसा उसने ठीक वैसे ही धारित नही रखा जैसा कि 1988 के अधिनियम की धारा 4 (3) (ख) में प्रावधानित है।

4. उच्चतम न्यायालय के निर्णय मारसेल मार्टिंस बनाम एम. प्रिंटर तथा अन्य, 2012 ए.आई.आर.एस.सी.डब्लू. 3007 में प्रकाशित पर निर्भरता व्यक्त की गई जिसमें शब्द वैश्वासिक की व्याख्या की गयी जिसके अनुसार, वैश्वासिक का अर्थ है एक व्यक्ति जो न्यास में किसी चीज को अन्य के लिए धारित करता है, एक न्यासी, न्यासी की हैसियत रखने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाला एक व्यक्ति या न्यास के संबंध में न्यासी के चरित्र के अनुरूप और उसमें विश्वास रखने वाला तथा जितना आवश्यक हो उतना सावधानी पूर्वक सदविश्वास रखने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पर उसके द्वारा दिए गए वचन के आधार ऐसे वचनों से जुड़े मामलों में प्राथमिक रूप से दूसरों के लाभ के लिए कार्य करने के लिए दायित्व है । इससे भी अधिक विशिष्टतः, एक अधिनियम में, एक संरक्षक, न्यासी, निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, रखने वाला या अन्य व्यक्ति जो वैश्वासिक हैसिसत में अन्य व्यक्ति , न्यास या संपदा के लिए कार्य करता है।

5. यह तर्क किया गया कि विश्राम उर्फ प्रसाद गोवेकर तथा अन्य बनाम सुदेश गोवेकर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि तथा अन्य, ए.आई.आर. 2017, एस.सी. 583 में प्रकाशित के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार का विवाद को अधिनियम की धारा 04 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण देखा नही जा सकता । यह भी तर्क किया गया कि सौरभ शर्मा मृत मनहरण लाल शर्मा बनाम बांकेलाल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि तथा अन्य, ए.आई.आर. आन लाइन 2020, छ.ग. 50 में प्रकाशित के मामले में इस न्यायालय द्वारा स्पष्टतः यह तय किया गया कि बेनामी सम्पत्ति पर हक की घोषणा के लिए ऐसा वाद 1988 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) से पूर्णतः बाधित है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णयो समित्री देवी तथा अन्य बनाम सम्पूर्ण सिंह तथा अन्य, ए.आई.आर. 2011 ,एस.सी. 773 में प्रकाशित तथा मिथलेश कुमार तथा अन्य बनाम प्रेम भारती खरे (1989) ए.आई.आर (एस.सी.) 1247 में प्रकाशित पर भी निर्भरता की गयी। आगे यह भी तर्क किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दुखिया बाई तथा अन्य बनाम फेरूराम वर्मा तथा अन्य, 2019 (2) सी.जी.एल.जे. 14 में प्रकाशित के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी द्वारा घोषणा की मांग करते हुए कि वह बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 के तहत वाद सम्पत्ति का स्वामी है, 1988 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) से विशिष्टतः बाधित है, अतएव आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है। विद्वान विचारण न्यायालय को सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश आवेदन को स्वीकार करना चाहिए था परंतु उक्त आवेदन अस्वीकार किया गया। इस कारण से यह प्रार्थना की गयी कि यह याचिका स्वीकार किया जावे तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्तानुसार अनुतोष प्रदान किया जावे।

6. उत्तरवादीगणो के विद्वान अधिवक्ता ने तर्को पर आपत्ति की और तर्क किया कि याचिकाकर्ताओ/उत्तरवादीगणो नें सी.पी.सी. के आदेश 07 नियम 11 के तहत पेश उनके आवेदन में विधि तथा तथ्य का मिश्रित प्रश्न उठाया है । वर्तमान मामला स्पष्ट रुप से 1988 के अधिनियम की धारा 4(3) के अपवाद में आता है । वाद संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति के तौर पर धारित करने के लिए सावित्री देवी के नाम पर बेनामी क्रय की गयी थी । यह तर्क किया गया कि विक्रय पत्र दिनांकित 6.10.1961 के उल्टे भाग पर, यह स्पष्ट रुप से लिखा गया है कि प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य सावित्री देवी के पिता द्वारा अदा किया गया है, अतएव सावित्री देवी का उस संपत्ति को धारण किये रहना संयुक्त हिन्दु परिवार के लिए न्यासी के तौर पर है ।

7. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पवन कुमार बनाम बाबूलाल मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण व अन्य (2019) 4 एस.सी.सी. 367 पर निर्भरता व्यक्त की गई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब संपत्ति को वैश्वासिक हैसियत में उसका धारक रखे हुआ था यह दावा करते हुए उक्त् आधार पर विवाद उत्पन्न होता है, तब ऐसा प्रश्न अभिलेख पर सुदृढ साक्ष्य तक देखा जाना चाहिए और इसे सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश आवेदन को तय करने के स्तर पर निर्णीत नही करना चाहिए । इस कारण से, विद्वान विचारण न्यायालय नें आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नही की तथा आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

8. तर्को पर विचार किया गया । उत्तरवादीगणो की ओर से किये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में वाद पत्र में अभिवचनों की पुनः सूक्ष्म परीक्षा की जानी है । वाद पत्र में अभिवचन यह है कि वाद संपत्ति सावित्री देवी के नाम पर उसके पिता हरिप्रसाद अग्रवाल द्वारा दिनांक 6.10.1961 को क्रय की गई थी, जिसके लिए प्रतिफल मूल्य स्व० हरिप्रसाद अग्रवाल द्वारा अदा किया गया था । उक्त वाद संपत्ति स्व० हरिप्रसाद अग्रवाल के मृत्यु तक उनके कब्जे मे थी इस कारण से सावित्री देवी उक्त संपत्ति की बेनामी धारक थी । वाद पत्र में ऐसा कोई अभिवचन नही है कि वाद संपत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति के लाभ तथा अभिवृद्धि के लिए क्रय की गई थी । वास्तव में, पूरे वाद पत्र में संयुक्त हिंदू परिवार की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपत्ति के बारे में कुछ लिखा ही नही है । ना तो हिंदू अविभाजित परिवार और ना ही ऐसे अविभाजित परिवार की संयुक्त संपत्ति के बारे में कुछ भी नही लिखा है । ऐसी परिस्थिति में, ऐसे अभिवचनों के अभाव में जो कि 1988 के अधिनियम की धारा 4 (1) के अपवाद के रूप में 1988 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार वाद की पोषणीयता की आवश्यक शर्त है, उसका पूर्णतः अभाव है ।

9. वाद पत्र को अस्वीकार करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 की प्रार्थना केवल वाद पत्र के अभिकथनो के आधार पर ही तय की जा सकती है और अन्य किसी आधार पर नही। उपर वर्णित वाद पत्र के अभिकथन से स्पष्ट रुप से दर्शित है कि यह दर्शित करने के लिए कुछ भी अभिवचित नही किया गया कि वाद संपत्ति सावित्री देवी द्वारा हिन्दु अविभाजित परिवार के समांशिति के तौर पर धारित की गई थी और उक्त धारित किया जाना संयुक्त हिंदू परिवार के सभी समांशिति के लाभ के लिए था। वाद पत्र में अभिवचनों और तथ्यो के आधार पर ऐसी स्थिति होने के कारण, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री ही नही है कि उत्तरवादीगणो द्वारा दायर यह वाद 1988 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अपवाद की परिधि में आता है। उक्त निष्कर्ष होने के कारण, उत्तरवादीगणो द्वारा दायर वाद बेनामी अधिनियम 1988 की धारा 4 की उपधारा (1) से स्पष्ट रुप से वर्जित होना प्रतीत होता है और इस प्रकार के मामले में उत्तरवादीगणो का वाद पत्र सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत अस्वीकार किये जाने योग्य है।

10. दिये गये तर्कों और अंतिम निष्कर्षो के आधार पर, यह तय किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण और स्थिर रखे जाने योग्य नही है, इसकारण से उक्त आदेश अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्तओ का आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है । उत्तरवादीगणो का वाद पत्र सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत अस्वीकार किया जाता है, इस आधार पर सिविल वाद की लंबित कार्यवाहियां समाप्त की जाती है ।

11. इस प्रकार, यह पुनरीक्षण निराकृत किया गया ।

सही/–
(राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur